बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 242310 दिनांक :- 14.08.15

सं0सं0-3/स्था0-1-52/15

प्रेषित,

श्री रवि रंजन,

अधिसूचित ग्रामीण विकास पदाधिकारी, चोरौत, सीतामढी,

पता- डी-1/1, पुर्नेन्दु नगर, खोजाई इमली,

पो0- फुलवारीशरीफ, जिला-पटना पिन 801505

विषय :- अनधिकृत रूप से कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं0-230237 दिनांक 05.05.15 द्वारा आपका पदस्थापन ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, चोरौत, सीतामढी के पद पर किया गया था, परंतु आपके द्वारा अधिसूचित पद के विरूद्ध योगदान नहीं किया गया, बल्कि स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख करते हुए दिनांक 29.04.15 से अवकाश में रहने संबंधी आवेदन जिला पदाधिकारी/ विभाग को समर्पित किया गया है । आपके द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किये जाने के कारण कार्यहित में विभागीय अधिसूचना सं0-240787 दिनांक 04.08.15 द्वारा अन्य पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया । तत्पश्चात आपके द्वारा विभाग में दिनांक 06.08.15 को योगदान किया गया ।

इस प्रकार, आपके द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किया जाना तथा सक्षम प्राधिकार से अवकाश की स्वीकृति के बिना कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहना आपके स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का घोतक है ।

अत: उपरोक्त के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(प्रदीप कुमार) 13/8/15

सचिव

आवेदन सं-5561